

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम इस हुक्म तामील में हुए
<p>पुलिस</p> <p>दुनारापव</p> <p>सीताबाई</p> <p>Imunlyt</p> <p>(शाहनवाज अहमद खान 2019 एडवोकेट)</p> <p>Shahanzain</p> <p>वीरकाम्य</p> <p>Identified</p> <p>Malik</p>	<p>हैं। पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति का राजीनामा पेश किया। उपस्थित पक्षकारों का उनके द्वारा सूची कर पेश किया गया राजीनामों का लफ्ज रर लफ्ज पढ़कर सुनाया गया। उपस्थित पक्षकारों द्वारा राजीनामों का पढ़/सुन व समझकर सही होना तथा उनके द्वारा ही पेश किया जाना स्वीकार किया गया। उपर पक्षकारों द्वारा राजीनामों के साथ अपने अपने पहचान के दस्तावेज पेश किये। शाठ काठ ही उपर पक्षकारों की पहचान श्री शाहनवाज अहमद खान, एवं श्री चनश्माम धाकड़ विद्या अधिवक्तागण द्वारा की गई। राजीनामों पर पुनः हस्ता/निठ अठ कवाये जाकर बाद तस्दीक राजीनामा शामिल प्रभावली किया गया।</p> <p>उपस्थित पक्षकारान एवं अधिवक्ता गण को सुना गया। उपर पक्षकार एवं अधिवक्ता वादी का जयन है, कि हम्ब राजीनामा दुकम्ही की जाकर वाद ठिकी कर लिया जावे।</p> <p>हमने प्रभावली का आधोपान्त</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए																												
	<p style="text-align: center;">∞</p> <p>गहन अवलोकन एवं मनन किया प्रकार उकस्ती का प्रतीत होता है तथा उकस्ती के छम में पसकालान् द्वारा आपसी सहमति से उनके मध्य अवस्थित समस्त विवाधक बिन्दुओं का अवसान कर लिया है ऐसी श्रुत में हम राजीनामा वाद बारीका स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः मुताबिक राजीनामा ग्राम सुल्डा की भूमि खसरा नम्बर $\frac{32}{0.52}$, $\frac{36}{1.62}$, $\frac{37}{1.61}$, $\frac{39}{1.10}$, $\frac{40}{1.62}$, $\frac{41}{1.62}$, $\frac{42}{1.62}$ को पसकालान् के मध्य निम्न प्रकार वाद उकस्ती खाता दर्ज की जावे।</p>																													
	<p>इस नाम खातेदार मय विमल</p> <table border="0"> <tr> <td>(1) सुनीता जैन पत्नी वीरेंद्र कुमार</td> <td>ख.नं.</td> <td>रकबा</td> <td>रिया</td> </tr> <tr> <td>जैन साठ रामगंजमठडी</td> <td>32</td> <td>0.52</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>36</td> <td>0.72</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>40</td> <td>0.32</td> <td>रसिया</td> </tr> <tr> <td></td> <td>41</td> <td>1.62</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>42</td> <td>1.62</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>किता 5</td> <td></td> <td>5.80</td> <td>है.</td> </tr> </table>	(1) सुनीता जैन पत्नी वीरेंद्र कुमार	ख.नं.	रकबा	रिया	जैन साठ रामगंजमठडी	32	0.52	-		36	0.72	-		40	0.32	रसिया		41	1.62	-		42	1.62	-	किता 5		5.80	है.	
(1) सुनीता जैन पत्नी वीरेंद्र कुमार	ख.नं.	रकबा	रिया																											
जैन साठ रामगंजमठडी	32	0.52	-																											
	36	0.72	-																											
	40	0.32	रसिया																											
	41	1.62	-																											
	42	1.62	-																											
किता 5		5.80	है.																											
	<p>(2) सीताबाई पत्नी नारायण जाति बंजारा साठ मिश्रमकुण्ड अर्धे कामम मुकामान् कंफाल लाल, दिलीपसिंह, सुभ्रलाल विजयसिंह, श्यामलाल कुम पुष्पाबाई, राजूबाई कुमिया नारायण व नारायण कुम नन्द जाति बंजारा</p>	<table border="0"> <tr> <td>ख.नं.</td> <td>रकबा</td> <td>रिया</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>1.99</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>1.30</td> <td>उत्तर</td> </tr> <tr> <td>किता 2</td> <td></td> <td>3.29 है.</td> </tr> </table>	ख.नं.	रकबा	रिया	37	1.99	-	40	1.30	उत्तर	किता 2		3.29 है.																
ख.नं.	रकबा	रिया																												
37	1.99	-																												
40	1.30	उत्तर																												
किता 2		3.29 है.																												

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त अहकाम ज हुकम की में जारी
3	<p>सीताबाई पत्नी कन्हैयालाल जाति भीम लाल दुर्गापुरा लखन शालापाठम</p> <p>उक्तानुसार राज्य रिकार्ड में भयत हो। तदनुसार डिक्ली भुवि हो। ख. नं. 36 में आने जाने के लिये ख. नं. 35 के सहारे लहाई खसरा नं. 37 में ख. 10 फीट चौड़ा रास्ता दोड़ा जावेगा जिलका उपयोग ख. नं. 36 एवं खुद 37 के खोलेदार ही करेगी। राजिनामा डिक्ली का भाग होगा। निर्णय आन दि. 19.7.18 कर मेरे द्वारा लिखाया जाकर विपुला न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(K.P. Jaisan) R.A.S.</p>	39. 1.62 <u>किला 1 1.62</u>

डिकरी थ मुकद्दमे इज्जतदाई

(अंश 20 खण्ड 6-7, जापना दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी
शुक्लगोपाल जोषन (R.A.S.)
 सीताबाई बनाम सुनीता जैन
 यावा आवत 31-188, 209 R.T. Act 1955
 मुकद्दमा नं 12 तन् 2018

यह मुकद्दमा आज वाग्ने इजाफतान कतई ह-व-र शुक्लगोपाल जोषन (R.A.S.)
 वारी नितजानिव मुद्दई व खलिठ
 नितजानिव मुद्दायलाह पेश होकर, हुवम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

मुलाबिक राजीनाम) ग्राम खुडा नी शुद्धि खसल नम्बर 32
36/1.62, 37/1.61, 39/1.10, 40/1.62, 41/1.62, 42/1.62 का
पक्षकालान् के मध्य निम्न प्रकार बाड हुनली खसल रनी
नी पक्षी (खिवाला हुन पक्षी)

खसली इम मुकद्दमे न मय मुद्द व शरह 4 फीसदी सालाना आज की तारीख
 से तारीख व मुलायमी तक को अदा करे।
 रसूलत भरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 07 2018

का जारी की गई।
 मुहर उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

मुद्दई	शर्त	पं.	मुद्दायलाह
स्टाम्प अर्जी का	/		स्टाम्प व कालतनामा
स्टाम्प व कालतनामा			स्टाम्प अर्जी
स्टाम्प व नरे राबूत			महसलाना व रील पर
महसलाना खरीज			खर्ची गवाहान
खसली गवाहान			फासल वामयत
फासल वामयत			बायत इवलाह व पक्षी
बायत इवलाह हुमनामा			मुतफारिक
मुतफारिक			
मीजान....			

नोट:-इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

रा म अ 139-2008-1;00,000 फार्म

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

क्र.सं	नाम स्वामिदार मय विवरण	ख. नं.	एकड़	रिशा
1	सुनीता जैन पत्नी वीरेंद्र कुमार जैन	36	0.72	-
	साथ रामगजमठडी	32	0.52	-
		40	0.32	30
		41	1.62	-
		42	1.62	-
		<u>किला 5</u>	<u>4.80</u>	<u>है० -</u>

(2) सीताबाई पत्नी नातामठा जाति बंजारा
 साथ किरानपुरा जय राम म कुकाम अंकार
 - लाल, दिलीपसिंह, प्रभुलाल, विजयसिंह
 रामलाल पुत्र, पुष्पाबाई, राजूबाई
 पुत्रियां नातामठा, व नातामठा पुत्र नंदा
 जाति बंजारा

37	1.99	-
40	1.30	30
<u>किला 2</u>	<u>3.29</u>	<u>है०</u>

(3) सीताबाई w/o कन्हैयालाल जाति भील
 साथ दुर्गापुरा लक्ष्मी शालरापारम
 किला 1

<u>1.62</u>	<u>है०</u>
-------------	------------

नोट:-
 [ख. नं. 36 में आने वाले हैं लिये ख. नं. 35 के सहाए.
 सहाए ख. नं. 37 में 10 फुट चौड़ा रास्ता छोड़ा जावेगा।
 जिसका उपयोग ख. नं. 36 एवं 37 के स्वामिदार ही करेंगे]

उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल सामक
 है।

उपखण्ड अधिकारी
 रामगजमठडी